न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 78/19 तारीखरजू:- 11-11-19

उनवानः- गुलाब आदि बनाम जगमोहन वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 26.11.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 488/0.75, 488/623/0.30, 489/608/0.49, 490/0.22, 490/610/0.22, 491/0.25, 491/611/0.25, 492/0.02, 498/612/0.26, 499/0.52, 499/593/0.30, 499/595/0.40, 520/600/0.05, 528/0.37, 528/609/0.18, 529/0.59, 6/0.40, 7/0.06, कुल किता 18 कुल रकवा 5.63 है0 ग्राम जोधपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	5372-81 11-11-19
26.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील सायलान उप0/ वकील सायलान द्वारा रजिस्टर्ड डाक से जारी रसीद की प्रति पेश की। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस तामील हेतु दिनांक 23.12.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ

दिनांक	फर्द अहकाम
23.12.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के सम्मन मूल दावा में तामील हो चुके है बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए है अत: इस पत्रावली में भी तामील मानी जाती है उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 29.1.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
29.1.20	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर ऑर्डर कनफर्म को मूल दावा निस्तारण तक कन्फर्म करने का निवेदन किया। बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 11-11-19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: